



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

क्र./भाविप्रा/चण्डीगढ़-सीएटी/सुरक्षा/DGR/2024/510

दिनांक 26.06.2024

सेवा में,
कर्नल परगट सिंह (सेवानिवृत्त)
मैसर्स परगट सिंह सुरक्षा एजेंसी (6838)
कंबोज प्लाजा, 2nd फ्लोर, कैबिन नंबर 1,
आप्लजट गुरुद्वारा बाउली साहिब, ढकोली,
जिरकपुर, मोहाली, पंजाब-160104

**विषय : : भा.वि.प्रा। सिविल एयरपोर्टचण्डीगढ़ पर M/s PARGAT SINGH SECURITY AGENCY(6838)
द्वारा DGR सुरक्षा गार्ड के प्रावधान के संदर्भ में ।**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत डीजीआर प्रायोजन पत्र संख्या 73120 /SA /AAI /2023 /Punjab /6838 /8588 /8037 / EMP दिनांक:-02/02/2024 के अनुसार अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में खोली गयी निविदा क्रं. 2024_AAI_193676_1 को सक्षम प्राधिकारी द्वारा आपके पक्ष में मंजूरी प्रदान कर दी गयी है। अतः आपको ओल्ड टर्मिनल बिल्डिंग, सिविल एयर टर्मिनल, चंडीगढ़ पर 05 (पाँच) डीजीआर सुरक्षा गार्ड {Unarmed, plus 01 Nos. reliever (reliever charges included)} दिनांक 01.06.2024 से नियुक्त करने हेतु डी.जी.आर. के न्यूनतम वेजेस रेट के अनुसार, जो अक्टूबर 2023 से लागू है, पर अनुबंधित किया जाता है।

डी.जी.आर. के नियमानुसार समय-समय पर न्यूनतम वेजेस रेट के अनुसार वेतन वृद्धि या कमी की जाती है, उसका भुगतान वास्तविक भुगतान के आधार पर किया जाएगा।

कॉन्ट्रैक्ट की अवधि एक वर्ष की होगी (01.06.2024 से 31.05.2025) तथा कार्य-संतुष्टि की दशा में, सक्षम अधिकारी की अनुमति के पश्चात ही समान नियमों और शर्तों के साथ अतिरिक्त एक वर्ष हेतु बढ़ाया जा सकेगा।

उपरोक्त वर्णित डी.जी.आर. पत्र के निर्देशानुसार दस्तावेजों की मूल प्रति के साथ आप स्वयं अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपस्थित होकर करारनामे को पूरा करें।

निम्नलिखित शर्तों / गाइड लाइनों का पूर्व सैनिक सिक्यूरिटी एजेंसी द्वारा स्टेशन पर सुरक्षा गार्ड लगाए जाने से पूर्व कड़ाई से पालन किया जाना होगा :-

1. DGR के नियमानुसार एक माह की लाइसेंस फीस की 10% के बराबर रकम को सिक्यूरिटी एजेंसी के द्वारा भा.वि.प्रा. के नाम से ओल्ड टर्मिनल बिल्डिंग, सिविल एयर टर्मिनल, चंडीगढ़ पर देय डिमांड ड्राफ्ट के रूप में S.D. लाइसेंस चालू करने के पहले जमा कराना होगा या प्रथम माह के बिल में से उक्त राशि काट ली जाएगी।

निरंतर...2



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

2. सुरक्षा एजेंसी द्वारा प्रदत्त सभी 05 (पाँच) plus 01 Nos. reliever सुरक्षा गार्ड, गार्ड के रूप में कार्य, सुरक्षा अनुभाग से प्राप्त निर्देशानुसार कार्य, सभी प्रकार के रिकॉर्ड का संधारण, फाइलों व रजिस्ट्रों का संधारण आदि, करने में सक्षम हों।
3. सुरक्षा गार्ड को मिलने वाले वेतन में DGR / सरकार द्वारा संशोधन किए जाने पर और GST में संशोधन होने पर उक्त संशोधन के अनुसार बदला जाएगा।
4. सिक्यूरिटी एजेंसी को दिया गया कार्य किसी अन्य व्यक्ति / एजेंसी को आगे Sublet नहीं किया जा सकेगा।
5. सिक्यूरिटी एजेंसी द्वारा लगाए गए सुरक्षा गार्डों का चरित्र सत्यापन सम्बंधित पुलिस प्राधिकारी द्वारा उनके कार्य पर नियोजन से पहले कराना होगा।
6. सिक्यूरिटी एजेंसी ही एकमात्र रूप से सभी कानून को पालन करने हेतु जिम्मेदार होगी व सभी श्रम नियमों व भत्तों के भुगतान हेतु DGR गाइडलाइन्स का पालन करना होगा एवं इस प्रकार के सुरक्षा गार्ड को लगाने पर होने वाली समस्त स्थानीय औपचारिकताओं को पूरा करना होगा।
7. सिक्यूरिटी एजेंसी को निविदा दस्तावेज़ में दिए गए निर्धारित प्रारूप में एक अनुबंध इस पत्र की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर 500/- रुपये के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर निष्पादित करना होगा।
8. भाविप्रा एवं सिक्यूरिटी एजेंसी का लाइसेंस एक सप्ताह के नोटिस पर बिना कोई कारण बताए समाप्त किया जा सकेगा।
9. सिक्यूरिटी एजेंसी के पास नियमानुसार राज्य सरकार से जारी श्रम लाइसेंस व पंजीकरण प्रमाण पत्र एवं सभी अन्य आवश्यक दस्तावेज होना चाहिए।
10. सिक्यूरिटी एजेंसी ने एम्पनेलेमेंट के पांच साल पहले तक सिक्यूरिटी एन्ड फाइटिंग कोर्स किया होना चाहिए व DGR के प्रायोजन के उपरांत भी यह कोर्स किया होना चाहिए।
11. DGR के निर्देशों के अनुसार यदि सिक्यूरिटी एजेंसी के पास EPF, ESI, GST व श्रमिक लाइसेंस न हो तो सिक्यूरिटी एजेंसी को उक्त लाइसेंस प्राप्त / रजिस्ट्रेशन इस कार्य के अवार्ड के 45 दिन के अन्दर कराना होगा एवं कागजात इस कार्यालय में तय अवधि में प्रस्तुत करने होंगे।
12. सिक्यूरिटी एजेंसी को बैंक से अपने बैंक खातों को सत्यापित कराते हुए बैंक खाता प्रदान व उसे परिचालित करने हेतु अधिकृत व्यक्ति का नाम, पता इस कार्यालय में जमा कराना होगा।
13. सिक्यूरिटी एजेंसी को अपना पूर्ण पता व टेलीफोन / फैक्स / मोबाइल नंबर व ई-मेल पता सूचित करना होगा।
14. सुरक्षा एजेंसी आवंटित स्थान पर कोई प्रतिकूलता, होर्डिंग, बैनर या साइनबोर्ड नहीं लगाएगी या प्रदर्शित नहीं करेगी या कोई संशोधन/निर्माण योजना नहीं बनाएगी।
15. सिक्यूरिटी एजेंसी को DGR द्वारा जारी निर्देशों, नियमों व गाइड लाइनों का पालन करना होगा व इस प्रकार की अंडरटेकिंग देनी होगी कि एजेंसी समस्त DGR नियमों, निर्देशों व गाइड लाइनों का पालन कर रही है। इस सम्बन्ध में एजेंसी को सुरक्षा गार्ड लगाने से पहले DGR/AAI के नियम व शर्तों के पालन करने की सहमति देनी होगी।

निरंतर...3



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

16. बिलों या अन्य दरों का भुगतान प्रतिभूति की वास्तविक शुरुआत की तारीख को किया जाएगा, मासिक बिल सम्पूर्ण आवश्यक दस्तावेजों (EPF, ESIC, BONUS, Minimum wages reimbursement details etc.) के साथ प्रत्येक माह की सात तारीख के पूर्व मुख्य सुरक्षा अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए जाएं।
17. एजेंसी को प्रत्येक गार्ड के लिए Workmanship & Compensation Act के अनुसार Medclaim policy लेनी होगी तथा इस कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
18. टेंडर-दस्तावेज में वर्णित सभी बिन्दुओं का पालन करना होगा।
19. इस कार्य आदेश का स्वीकृति पत्र 3 दिवस में इस कार्यालय में जमा करें।

सौरव भण्डारी / SOURAV BHANDARI
प्रबंधक (इलेक्ट्रॉनिक्स)
Manager (Electronics)
प्रबंधक (सी. एन. टी. ए. / MISGR(CNS))
भ.वि.प्र. सिविल एयर टर्मिनल
AAI, Civil Air Terminal
चण्डीगढ़ / Chandigarh

वितरण:-

1. वित्त अनुभाग ओटीबी, सिविल एयर टर्मिनल, चंडीगढ़.

2. Directorate Resettlement Zone (West), Govt of India, Ministry of Defence, c/o HQ Western Command, Chandimandir-134107